संख्या-03/2017/333/38-3-2017/1119/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास प्रशासन 03 विकास आयुक्त (मुख्यालय), विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04 विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय एवं आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) तथा 06-संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-318/नजारत अनुभाग/2017, दिनांक 30 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा इंगित एन आई सी द्वारा दिये गये स्पेसीफिकेशन के अनुसार कम्प्यूटर क्रय करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2515 अन्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित तालिका के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित मानक मदों मे व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष तालिका में बिन्दु संख्या-5 में अंकित धनराशियों अर्थात कुल धनराशि रू0 6065460.00 (साठ लाख पैसठ हजार चार सौ साठ मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुये इसका भुगतान उ0प्र0 सिस्टम्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0 डेस्को) के पक्ष में किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	मद का नाम	मात्रा नग में	एक कम्प्यूटर सिंस्टम की दर	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)	7	65220.00	456540.00
2	निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय	11	65220.00	717420.00
3	ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)	57	65220.00	3717540.00
4	06 संग्रहीत जिला कार्यालय	18	65220.00	1173960.00
	योग	93		6065460.00

3- अग्रिम आहरण की उक्त धनराशि का भुगतान शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1-(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं संख्या-ए-1-2325/दस-2011-15-1-(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो के अधीन किया जायगा।

4- उपरोक्त दरों के अनुसार कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 निम्न शर्तो के साथ स्थापित किया जायगा:-

(1) क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 को आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार सम्बन्धित मुख्यालय, मण्डलीय, जनपदीय एवं विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों में आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित कराया जायगा।

(2) क्रय आदेश में उल्लिखित प्रति नग धनराशि में समस्त खर्चे/टैक्स/मारजिन सम्मिलित है, विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायगी।

(3) मुख्यालय, मण्डल, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायगा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कम्प्यूटर अधिष्ठापित कराया गया है।

(4) वारंटी अवधि में अनुरक्षण कार्य हेतु पर्याप्त कम्प्यूटर इंजीनियर की उपलब्धता आपूर्तिकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जायगी और उनके सम्पर्क नम्बर विभाग को उपलब्ध कराने होंगे।

(5) विशिष्टियों में उल्लिखित वारंटी अवधि में अनुरक्षण आन साइट करना होगा। इस हेतु अलग से कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायगा।

(6) विशिष्टयों एवं शर्तो के अधीन कम्प्यूटर स्थापित/अध्ष्ठिापित कराकर इंस्टालेशन रिपोर्ट आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध करायी जायगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा इंस्टालेशन रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित किया जायगा एवं पुष्टि की जायगी कि आपूर्तिकर्ता द्वारा समस्त उल्लिखित कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करा दिये गये है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2017/333(1)/38-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
5- प्रबंध निदेशक यू0पी0 डेस्को लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव ।